

## मुख्य चुनाव आयुक्त

### प्रलिस के लयि:

मुख्य चुनाव आयुक्त, आदर्श आचार संहति ।

### मेन्स के लयि:

संवैधानकि नकिय ।

## चरचा में क्यो?

हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त (25वें सीईसी) के रूप में नयुक्त किय ।

- उन्होंने **सुशील चंद्रा की जगह ली है** ।

## प्रमुख बदि

### ■ भारत के चुनाव आयोग के बारे में:

- **भारत नरिवाचन आयोग** जसि चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानकि नकिय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है ।
  - चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 (**राष्ट्रीय मतदाता दविस** के रूप में मनाया जाता है) को संवैधान के अनुसार की गई थी । आयोग का सचवालय नई दलिली में है ।
  - यह देश में **लोकसभा, राज्यसभा, राज्य वधिनसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति** के चुनाव का संचालन करता है ।
    - इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है । इसके लयि भारत का संवैधान अलग **संराज्य चुनाव आयोग** का प्रावधान करता है ।

### ■ संवैधानकि प्रावधान:

- **भारतीय संवैधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधति है और इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है ।
- **अनुच्छेद 324:** चुनाव का अधीक्षण, नरिदेशन और नरितरण चुनाव आयोग में नहिति है ।
- **अनुच्छेद 325:** धरम, जातिया लगी के आधार पर कसि भी व्यक्तविशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लयि अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान ।
- **अनुच्छेद 326:** लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की वधिनसभा के लयि नरिवाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा ।
- **अनुच्छेद 327:** वधियकि द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति ।
- **अनुच्छेद 328:** कसि राज्य के वधिनमंडल को इसके चुनाव के लयि कानून बनाने की शक्ति ।
- **अनुच्छेद 329:** चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक ।

### ■ नरिवाचन आयोग की संरचना:

- नरिवाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरयि 16 अक्टूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दया गया ।
- नरिवाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त, यदकोई हों, जो राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकता है, से मलिकर बनेगा ।
- वर्तमान में इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं ।
  - राज्य स्तर पर नरिवाचन आयोग की सहायता मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा की जाती है जो आईएस रैंक का अधिकारी होता है ।

### ■ चुनाव आयुक्तों की नयुक्ति और कार्यकाल:

- राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नयुक्ति करता है ।
- इनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की उमर (जो भी पहले हो) तक होता है ।
- इन्हें भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं ।

### ■ नषिकासन:

- वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।

#### ■ सीमाएँ:

- संविधान ने नरिवाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक) नरिधारित नहीं की है।
- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल नरिदषिट नहीं किया है।
- संविधान ने सेवानवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नयुक्त से वंचित नहीं किया है।


## ECI की शक्तियाँ और कार्य:

#### ■ प्रशासनिक:

- संसद के **परसीमन आयोग** अधनियम के आधार पर पूरे देश में नरिवाचन क्षेत्र की सीमाओं का नरिधारण करना।
- समय-समय पर मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना।
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चहिन आवंटित करना।
- यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव में '**आदर्श आचार संहिता**' जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए।

#### ■ सलाहकार क्षेत्राधिकार और अरुद्ध-न्यायिक कार्य:

- संविधान के तहत संसद और राज्य वधिनमंडलों के मौजूदा सदस्यों को नरिवाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है।
  - ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी है, कति ऐसे मामले पर राज्यपाल अपनी राय दे सकता है।
- इसके अलावा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के मामले, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सामने आते हैं, इस सवाल पर आयोग की राय के लिये भी भेजा जाता है कि क्या ऐसे व्यक्तिको अयोग्य घोषित किया जाएगा और यदिहाँ, तो कसि अवधि के लिये।
- आयोग के पास ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, जो समय के भीतर और कानून द्वारा नरिधारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा करने में वफिल रहा है।



//

## वगित वर्ष के प्रश्न:

### प्रश्न. नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय नकिय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधित वविदों का समाधान करता है।

### उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chief-election-commissioner-1>

